

सेवामें

श्रीमान् तहसीलदार साहब
दूनी।

390
2021

प्रशासन गांवों के संचेक-2021

विषय:-ग्राम आकोठिया की जमाबंदी के खाता सं० 12 में नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्त करने
बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 रा०ले०रे० एक्ट 1956

peeder

8
11/10/21

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम आकोठिया की जमाबंदी संवत् 2077 सेरवाप के खाता सं० 12 में
मेरा नाम/पिता का नाम/जाति गलत रूप से कालू राम दर्ज है। मेरा सही
नाम/पिता का नाम/जाति कालू लाल है।
अतः सही नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

प्रार्थी
श्री. कालू लाल

hems
2021/1152

रिपोर्ट पटवारी

महोदय
निवेदन है कि ग्राम आकोठिया की जमाबंदी संवत् 2077 सेरवाप के खाता सं० 12 पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति कालू राम दर्ज है। प्रार्थी ने शपथ पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम/पिता का नाम/जाति कालू लाल
करवाने का निवेदन किया है। हितबद्धधारी (प्रार्थी) की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति कालू लाल दर्ज किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः
प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जाति कालू लाल दर्ज किये जाने की अभिशंका
की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू०अ०नि०

कार्यालय तहसीलदार दूनी कैम्प दूनी

क्रमांक 53

दिनांक 11.10.21

रिपोर्ट पटवारी हल्का भू०अ०नि० वृत्त दूनी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम आकोठिया की जमाबंदी संवत् 2077 सेरवाप के खाता संख्या 12 में
प्रार्थी नाम/पिता का नाम/जाति सही रूप से कालू लाल दर्ज किये जाने
की अभिशंका के साथ प्रकरण मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली की सेवामें सादर प्रेषित है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली
कैम्प/21

दिनांक:-

दिनांक 2073-74 के खाता संख्या 12 में दर्ज कालू राम के
संलग्न पर कालू लाल हुआ राजान रिपोर्ट करते हैं,
उपरोक्त निवेदन प्राप्त की है।
उपखण्ड अधिकारी
देवली (दूनी)